# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारी,ओम प्रभा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 310/2011 राजस्व वाद

1- श्रीमति जरसू पुत्री लक्ष्मण जाट हॉल मुकाम बेवा श्री किशन जाट निवासी ढालू का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा।

--वादिया

बनाम

1- मु0 गंगा बेवा लक्ष्मण जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील व जिला भीलवाडा( मृतक के विधिक वारिसान 2,3,4,5 प्रतिवादीगण)

2- श्री प्रेम पुत्री लक्ष्मण जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।

3- श्री केशर पुत्री लक्ष्मण जाट हॉल मुकाम पत्नि अम्बालाल जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाडा।

4- श्री शायर पुत्री लक्ष्मण जाट हाल मुकाम पत्नि गिरधारी जाट निवासी मोखमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।

5- बाली पुत्री लक्ष्मण जाट हाल पत्नि नानूराम जाट निवासी किरतपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।

6- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

7- सरीकिशन पिता हजारी जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।

8- नंदा पिता हजारी जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।

9- गोपी पिता हजारी जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,53-54-क एवं 188 राज0काश्त0 अधिनियम में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता में निर्णय

--प्रतिवादीगण

उपस्थितः-

1- श्री हरदयाल वर्मा अधिवक्ता-वादीया

2- श्री श्यामलाल वेद, अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 2

:: निर्णय ::

दिनांक 22.6.2022

प्रतिवादी संख्या 02 प्रेमी पुत्री लक्ष्मण जाट निवासी गोविन्दनपुरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वादिया के वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात कुल किता 26 कुल रकबा 45 बीघा 10 बिस्वा भूमि के संबंध में वादप्रस्तुतीकरण से पूर्व प्रतिवादी संख्या 09 गोपी पिता हजारी जाट निवासी गोविन्दपुरा की और से प्रतिवादी संख्या 07 श्री किशन पिता हजारी जाट प्रतिवादी संख्या 08 नन्दा पिता हजारी जाट प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमति गंगा एवं तहसीलदार भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 2.6.1989 को दर्ज रजिस्टर होकर वाद संख्या 48 सन् 1989 को विभाजन का वाद पेश किया गया जिसके प्रकरण संख्या 618/2002 दर्ज रजिस्टर होकर उक्त वाद इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 4.3.2003 को वादी का वादपत्र खारिज होकर प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमति गंगा के पक्ष में पारित होकर वादी गोपी प्रतिवादी श्री किशन, नन्दा का वादग्रस्त आराजियात कुल किता 26 कुल रकबा 45 बीघा 10 बिस्वा मे 1/2 आधा हिस्सा तथा प्रतिवादीयां गंगा इस वाद की प्रतिवादिया संख्या 1 का 1/2 आधा हिस्सा होने की घोषणा करते हुए विभाजन बाबत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया गया। दिनांक 4.3.2003 को इस न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारीजी भीलवाडा के यहाँ अपील पेश हुई जो खारिज हुई प्रत्यर्थी श्रीमति गंगा का क्रास ओब्जेक्शन स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी गोपी पिता

री जाट ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहाँ अपील पेश की गई जो खारिज हुई
नीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय से अपील खारिज हो जाने के उपरान्त वादी गोपी
तिवादी नन्दा एवं प्रतिवादी श्री किशन तीनो ने संयुक्त रूप से प्रत्यर्थी राजस्थान सरकार
र्ड ऑफ रेवेन्यू अजमेर रेवेन्यू अपीलेन्ट आथोरिटी भीलवाडा उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा
था श्रीमति गंगा बेवा लक्ष्मण जाट के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय राज0 जोधपुर के
हाँ एसबी सिविल रिट पीटिशन नं0 11224/09 पेश की जो दिनांक 18.12.2014 को
ारिज हो गई, इस प्रकार वादिया जस्सू अपनी माता गंगा एवं लक्ष्मण जाट के फुट स्टेप
र आकर यह वाद दिनांक 5.10.2011 को प्रस्तुत किया तक वादपत्र के पेरा सं. 01 में
र्णित आराजियात प्रकरण संख्या 6.8.2002 रे.वाद में पारित निर्णय अनुसार दिनांक 30.11.
2011 को बटवाडा प्रस्ताव इसी न्यायालय को प्राप्त हो जाने से वादग्रस्त आराजियात
सहकाश्तकार गोपी, श्रीकिशन व नन्दा जाट से प्रतिवादिया श्रीमति गंगा को कब्जा न सिपुर्द
हो जावे, इसी प्रयोजन से प्रतिवादी गोपी, श्रीकिशन व नन्दा को पक्षकार बनाये जाने की
आवश्यकता न होते हुए केवल मात्र श्रीमति गंगा बेवा लक्ष्मण जाट के नाम दर्ज भूमि के
कब्जे संबंधी कार्यवाही को स्थगन आदेश से रोकने के प्रयोजन से वादिया एवं प्रतिवादी
संख्या 7,8, व 9 से साजिश कर उन्ही के ईशारे पर इस अनर्गल एवं तुच्छ वाद को पूर्व
निर्णित वादके पारित निर्णय को बाधित करने की साजिश की है। जो कतई उचित नही है।
प्रायः न्याय के सिद्धान्त के मुताबिक यह दावा कतई पोषणीय नही है। स्व0 लक्ष्मण वल्द
मोडा जाट की मृत्यु वर्ष 1976 के आस पास हो जाने से प्रतिवादिया श्रीमति गंगा को
विरासत में प्राप्त नारी सम्पदा है। उस समय प्रचलित हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत
पैतृक सम्पति जो सहदायिक सम्पदा थी उसमें पुत्रियो को कोई हक प्रदान नही किया गया
था। हिन्दु उत्तराधिकार(संशोधित) अधिनियम 2005 से ही पुत्रियो को अधिकार प्राप्त हुआ है।
किन्तु 20 दिसम्बर 2004 के पश्चात् यदि वादिया के पिता लक्ष्मण जी की मृत्यु हुई होती तो
अधिकार नये संशोधित कानून से प्राप्त होता यहा स्थिति और विकट है क्योकि वर्ष 1976 के
आस पास वादिया के पिता लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाने के बाद वर्ष 1989 तक वादिया
जस्सू द्वारा कोई ऐतराज नही करना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उस समय प्रतिवादी गोपी
वल्द हजारी जाट ने प्रकरण संख्या 48 सन् 1989 रे.वाद दिनांक 2.6.1989 को पेश किया
था, तब लक्ष्मण जाट जीवित नही थे, उस समय प्रतिवादिया गंगा एवं उसकी पुत्रिया जीवित
थी, तब इन्हे इरादतन प्रतिवादी गोपी(जो पूर्ववर्ती वाद का वादी था) ने पक्षकार नही बनाया
और न वादिया ने अपने हक को प्राप्त करने बाबत कोई एतराज किया, पूर्ववर्ती वाद संख्या
6.8.2002 (जिसके पुराने नम्बर 48/1989 रे.वाद) के निस्तारण हो जाने के बाद रामेश्वर पुत्र
ने वादिया जस्सू को प्रतिवादी बनाकर वाद पेश किया तब भी इसी वादिया जस्सू ने कोई
एतराज नही किया, मौनानुकुलता के कारण वादिया ने अपना अधिकार खो दिया। हिन्दु
उत्तराधिकार(संशोधित) अधिनिमयम 2005 की धारा के अनुसार 20 दिसम्बर 2004 के पूर्व ही
वादग्रस्त आराजियात स्वर्गीय लक्ष्मण पिता मोडा जाट के नाम पर दर्ज आराजियात वर्ष
1976 के आस पास से राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादिया गंगा जो इनकी बेवा थी उनके नाम पर
अविधिमान्य प्रवृति से विरासत एवं विभाजन योग्य होना सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिवादीया
गंगा को वादग्रस्त आराजियात में आधा हिस्सा मांग लिया जाने से राजस्व रेकार्ड मे स्वर्गीय
लक्ष्मण पिता मोडा जाट के बजाय गंगा बेवा लक्ष्मण जाट के अधिकार की सम्पदा होना मान
लिया जाने से पुत्र की भांति पुत्र को जन्म से अधिकार होने के अधिकार इस उपधारा की
कोई बात अब प्रभावहीन हो चुकी है, तात्पर्य यह है कि ऐसी बात प्रभावित नही करेगी। इस
कारण वादिया इस संशोधित अधिनियम 2005 के प्रावधान से पाने वाले अधिकार से वंचित
हो चुकी है। यही स्थिति इस वाद के निस्तारण तक भी यही परिणाम होगा।
तिवादिया प्रेम ने अपने जवाबदावे में विस्तार पूर्वक प्रत्युत्तर देते हुए वादिया के वाद का
ण्डन करते हुए वादग्रस्त सम्पदा में उसका सहदायिक अंश न होने से उसके द्वारा यह
या गया वाद निरर्थक है और उसे यह वाद लाने का अधिकार नही है। हिन्दु
त्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार कोई सम्पदा हिन्दु नारी को इस अधिनियम
लागू होने से पूर्व या पश्चात विरासत द्वारा अथवा वसियत द्वारा अथवा विभाजन द्वारा अथवा
रण पोषण पाने के फलस्वरूप या भरण पोषण के बकाया के बदले अथवा अन्य किसी रिती
चाहे वह कैसी हो क्यो न हो अर्जित की गई हो तो ऐसी सम्पदा की व हिन्दु नारी पूर्ण
मी हो जाती है। वह ऐसी सम्पदा की सीमित स्वामी नही कहलाती है, ऐसे प्रवाधान के
नुसार प्रतिवादियां गंगा को किसी भी तरह से जो सम्पदा उसे प्राप्त हो चुकी है जिसकी
पूर्ण स्वामिनी है उसके इस अधिकार को कोई भी खण्डित नही कर सकता है, वह पूर्ण

ामिनी होने से प्रतिवादिया गंगा द्वारा प्रतिवादी गंगा एवं सायर के पक्ष में किया गया न्तरण भी जायदाद इन दोनो को अन्तरण से जो सम्पदा प्राप्त होकर राजस्व रेकार्ड में ामांकित हो जाने से प्रतिवादिया प्रेमी एवं सायर ही हिन्दु नारी होने से वह दोनो ही पूर्ण स्वमिनी है। ऐसी कानूनी स्थिति से वादिया का यह वाद कतई पोषणीय नही है बल्कि वादिया का यह वाद आधारहीन एवं तुच्छ वाद को कतई आगे चलाये रखने के लिए न्यायालय असहाय नही है। बल्कि अपनी अन्तनिर्हित शक्तियों का प्रयोग करने से व्यथित व्यक्ति के विचारण को भुगते बिना तुच्छ मुकदमेंबाजी को कुचलने का न्यायालय को विधिक अधिकार है, वादिया स्वय ने ही अपने वाद पत्र की चरण संख्या 04 में वादग्रस्त आराजियात का स्व0 लक्ष्मणजी की मृत्यु के उपरान्त विरासत से खाता प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी संख्या 06 से मिलीभगत करके अकेले गंगा ने खात खुलवा लिया प्रतिवादी संख्या 01 के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या 02 से 05 के नाम खुलना चाहिए प्रतिवादी गंगा वादिया की माता होने से वादिया ने कोई एतराज नही किया यह अभिकथन वादिया की स्वीकारोक्ति है, अब वह इससे मुकर नही सकती है, वादिया को इस तरह वह मुकर क्यो मुकर रही है या अब देरी ना 45 वर्ष बाद क्यो एतराज उठा रही है, ऐसा कोई ठोस कारण का वादपत्र में उल्लेख नही किया है। ऐसा कारण नही दर्शाया जाना अत्यन्त तुच्छ एवं तंग करने वाला है। जिससे वादिया के वाद को बल प्राप्त नही होता है। स्व0 लक्ष्मण वल्द मोडा जाट की वर्ष 1976 के आस पास मृत्यु हो गई और राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में नामान्तरकरण के द्वारा विरासत से प्रतिवादिया गंगा के नाम पर किये गये रद्दोबदल को कोई चुनौती नही देने से यह वाद बिना किसी सारभूत कारण के स्थूलरूप से विलम्बित और स्पष्ट रूप से तंग करने वाला और तुच्छ होने से यह वाद आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत खारिज होने योग्य है। ऐसी माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा एस0बी0 सिविल रिट पीटिशन नं0 4850/2010 के मामले में दिनांक 9.2.2015 के मामले के निर्णय से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ऐसा प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 के तहत विचारण के निष्कर्ष से पूर्व वाद की किसी भी स्टेज पर पेश किया जा सकता है। प्रार्थीया/प्रतिवादिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादिया का वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 02 प्रेम पुत्री लक्ष्मण जाट की और से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी का जवाब वादिया की और से प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वादिया जस्सू स्व0 लक्ष्मण जाट की पुत्री होने से तथा उनकी प्रथम श्रेणी की वारिस होने से तथा लक्ष्मण जी मृत्यु हो जाने तथा सारी आराजियात अकेली माता गंगा के नाम आ जाने से तथा गंगा बिना अधिकार के भूमि का विक्रय करने लग गई, इसलिए अपने हिस्से की घोषणा कराने के लिए वादिया ने यह वादपत्र पेश किया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार शुरू से ही 6 पुत्रीयाँ प्रथत श्रेणी की वारिसान थी व है, जिनको पूर्ण अधिकार था दिनांक 20.12.2004 के पश्चात व पहले कभी भी लक्ष्मण की मृत्यु हुई हो दोनो दशाओं में वादिया को अपनी पिता की जमीन में पूरा अधिकार हासिल था व है, लेकिन ज्योंही स्व0 गंगा ने भूमि बेचना शुरू किया तो वादिया ने अपने हक व अधिकारो को सुरक्षित रखने हेतु हक व अधिकारो की घोषणा का वाद पेश कर दिया जिसमें किसी भी तरह की अनियमित्ता नही है न ही घोषाणा के लिए समय सीमा निर्धारित है।

स्व0 लक्ष्मण जी की वादिया जस्सू जायन्दा पुत्री है जिसको ज्योहि लक्ष्मण जी की मृत्यु हुई हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस होने से अधिकार प्राप्त था, व है सन् 2005 के संशोधन से भी वादिया के अधिकारो पर कोई फर्क नही पडता दावे को लम्बा कराने की गरज से यह प्रार्थना प्रतिवादी संख्या 02 ने पेश किया जो आधारहीन व असत्य तथ्यो पर होने से खारिज कराये जाने योग्य है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 में यह कही नही लिखा है कि अवैध रूप से कोई सम्पदा हिन्दु नारी को मिल गई तो भी कोई चेलेन्ज नही कर सकता स्व0 गंगा ने नि किसी अधिकारिता के स्व0 लक्ष्मण जाट की जायदाद को उसकी जीवित प्रथम श्रेणी वारिस के होते हुए भी अपने नाम दर्ज करा लिया जो एक अवैध इन्द्राज है जिसे कभी भी दुरूस्त कराया जा सकता है। स्व0 गंगा, सायर व प्रेमी को अवैध तौर पर दिखावटी बिकाव किया है जो वादिया जस्सू के केवल नल एण्ड वोइड होकर शुन्य प्रभावी है। न तो गंगा को न सायर को एवं न ही प्रेमी को कोई अधिकार प्राप्त हुआ है वादिया को अधिकारो से महरूम करने के लिए यह अन्तरण किये गये जो अवैध होकर शुन्य प्रभावी होकर आधारहीन प्रार्थना पत्र केवल वाद को लम्बित रखने के लिए दुराशय से प्रस्तुत किया गया है जो इसी प्रक्रम पर खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 02 की और से प्रस्तुत प्रार्थना पर आधारहीन होने से इसी प्रक्रम

खारिज कराने की प्रार्थना की है। वादिया अधिवक्ता ने इस प्रार्थना पत्र के खण्डन में धिक दृष्टान्त क्रमशः आरआरटी 2020(2) सुप्रिम कोर्ट पेज नं. 998 विनिता शर्मा बनाम केश शर्मा, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 व सूची जिसमें पुत्री प्रथम श्रेणी ी वारिस है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 01 से लगायत 06 में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र खारिज कराने की प्रार्थना की है। प्रतिवादी 02 के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में विधिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया जो क्रमशः RBJ(28)2021 केदारमल शर्मा बनाम जगदीश पेज नं0 367, 368 एवं 369, 370,371,372, RLW 2015(1)RJ पेज नम्बर 189 से लगायत 194, RLW 2013(1)RJ 81 से 87, 2016 (2)RLW 1337(SC) psge no. 1337 to 1351 पेश किये।

उभयपक्षो की बहस पर मनन् किया और कानूनी स्थिति एवंत माम नजीरो का अध्ययन किया जाने पर विधित् होता है कि वादग्रस्त आराजियात पति की विरासत से स्व0 गंगा को प्राप्त हो गई, इसके पश्चात वादग्रस्त आराजी के संबंध में वर्ष 1989 से अनवरत इस न्यायालय, अपीलीय न्यायालयो में मुकदमो का प्रतिवाद करते करते वर्ष 2011 में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4.3.2003 की पुष्टि हो जाने के पश्चात भी वह अपनी मृत्यु तक मुकदमे लडते लडते दिव्यंगत हो गये वर्ष 1976 में स्व0 लक्ष्मण पुत्र मोडा जाट की मृत्यु वर्ष 1976 के आस पास हो गई थी, उनकी बेवा गंगा के नाम पर अविधिमान्य प्रवृति से विरासत से एवं विभाजन से प्रतिवादिया गंगा को वादग्रस्त आराजियात में 1/2 हिस्सा होना मान लिया इसलिए हिन्दु उत्तराधिकार की धारा 14 के अनुसार हिन्दु नारी को विरासत से प्राप्त सम्पदा उसकी स्वअर्जित मानी जाती है व जिसे चाहे अन्तरित कर सकती है इसलिए स्व0 लक्ष्मणजी की मृत्यु के पश्चात उनके सम्पूर्ण हिस्से की आराजियात स्व0 गंगा उनकी बेवा थी वह पूर्ण स्वामिनी हो गई थी इसलिए प्रतिवादिया प्रेमी एवं सायर के पक्ष में उसके द्वारा किया गया अन्तरण विधि संगत है और दोनो भी हिन्दु नारी होने से दोनो को भी धारा 14 हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 205 के तहत सम्पूर्ण स्वामिनी हो गई है नये संशोधित हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार 20 दिसम्बर 2004 से पूर्व जो कोई सम्पदा किसी अविधि मान्य प्रवृति या विभाजन से युक्त अन्य सकरमण या वसीयति व्यवपन से उधत हो चुकी हो तो इस उपधारा की कोई बात प्रभाव नही डालेगी यही धारा 6 की उपधारा 5 में भी 20 दिसम्बर 2004 से पहले प्रभावित हुई या विभाजन पर लागू नही होगी इसी तरह वादिया स्वय ने भी अपने वादपत्र के पैरा संख्या 04 में वादग्रस्त आराजियात का स्व0 लक्ष्मणजी की मृत्यु के उपरान्त विरासत से खाता प्रतिवादी संख्या 1 ने अकेली गंगा के नाम खुलवा लिया। जिसका वादिया ने प्रतिवादिया गंगा माता होने से एतराज नही किया, वादिया ने 45 साल तक ऐतराज नही किया इस प्रकार वादिया का यह वाद अवधिपार है, वादिया ने वादग्रस्त आराजी के संबंध में घोषणात्मक डिक्री व विभाजन की मांग की गई है। जबकि इस न्यायालय के अन्य प्रकरण 48 सन् 1989 वादग्रस्त सम्पदा जिसमें प्रतिवादी संख्या 7 से 9 का 1/2 हिस्सा माना और प्रतिवादिया गंगा का 1/2 हिस्सा मानकर दोनो के हिस्से विभक्त होकर अलग अलग खाते दर्ज हो गये प्रथमतः वादिया ने दिनांक 5.10.2011 तक अपने विरासतीय अधिकार को 45 साल पश्चात् चेलेन्ज किया इस संबंध में पूर्ववर्ती वाद जो प्रतिवादी गोपी द्वारा पूर्व में पेश किया गया था, उन्होने स्व0 लक्ष्मण की विरासत का जिक्र स्व0 गंगा के सिवाय अन्य किसी का नही किया। इस प्रकार प्रतिवादिया श्रीमति प्रेम प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र का जिक्र करते हुए वादिया वह स्वय लक्ष्मण की विरासत को चेलेन्ज किया स्व0 लक्ष्मण की मृत्यु वर्ष 1976 क आस पास हो चुकी थी, वर्ष 1989 तक वादिया जस्सू ने एतराज नही किया जब प्रतिवादी गोपी जाट ने वर्ष 1989 में प्रतिवादिया गंगा के विरूद्ध पेश किया तब स्व0 लक्ष्मण जाट जीवित नही थे, स्व0 लक्ष्मण स्व0 मोडज्ञ की सन्तान थी साथ ही स्व0 हारी व जयराम स्व0 लक्ष्मण जी के भाई स्व0 जयराम निःसंतान फौत हो गये इसलिए स्व0 मोडा की जायदाद में स्व0 लक्ष्मण का 1/2 हिस्सा व स्व0 हजारी जाट के वारिस गोपी, श्रीकिशन व नन्दा का 1/2 आधा हिस्सा गया तब स्व0 लक्ष्मण के वारिस गंगा को ही पक्षकार बनाया तब वादिया ने कोई नही किया इसके साथ ही रामेश्वर पुत्र नन्दा जाट ने एक दावा पेश किया तब भी जस्सू ने कोई ऐतराज नही किया, वर्ष 1976 में स्व0 लक्ष्मण पिता मोडा जाट की

ु होने के पश्चात विरासत से बेवा गंगा के नाम इन्द्राज हुआ, स्व0 गंगा ने प्रतिवादिया ो व सायर के पक्ष में अन्तरण किया गया है। इस प्रकार वादिया का यह वाद हेतुक प्रकट ही करता है, वादिया का वाद विधि द्वारा वर्जित है। उपरोक्त विवेचन क अनुसार प्रतिवादी ख्या 2 प्रेमदेवी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश7 नियम 11 व धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया हिता का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतःएवं

:: आदेश ::

प्रतिवादी संख्या 02 प्रेमदेवी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व ारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का स्वीकार किया जाता है। तथा वादिया का यह वाद तुक प्रकट नही करता है, वादिया का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से नामंजूर किया जाता । तद्नुसार डिक्री जारी हो।

**उपखण्ड अधिकारी एवं**
**पदेन सहायक कलक्टर**
**भीलवाड़ा**

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा**
**पीठासीन अधिकारी,श्रीमति ओम प्रभा, आर.ए.एस.**

मुकदमा नम्बर 310/2011 राजस्व वाद

1– श्रीमति जरसू पुत्री लक्ष्मण जाट हॉल मुकाम बेवा श्री किशन जाट निवासी ढालू का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा।

––वादिया

बनाम

1– मु0 गंगा बेवा लक्ष्मण जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील व जिला भीलवाडा( मृतक के विधिक वारिसान 2,3,4,5 प्रतिवादीगण)
2– श्री प्रेम पुत्री लक्ष्मण जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
3– श्री केशर पुत्री लक्ष्मण जाट हॉल मुकाम पत्नि अम्बालाल जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाडा।
4– श्री शायर पुत्री लक्ष्मण जाट हाल मुकाम पत्नि गिरधारी जाट निवासी मोखमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
5– बाली पुत्री लक्ष्मण जाट हाल पत्नि नानूराम जाट निवासी किरतपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
6– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।
7– सरीकिशन पिता हजारी जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
8– नंदा पिता हजारी जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
9– गोपी पिता हजारी जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,53–54–क एवं 188 राज0काश्त0 अधिनियम में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता में निर्णय

**वादी की और से अधिवक्ता श्री हरदयाल वर्मा उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामलाल वैद उपस्थित के– में इस वाद के आज दिनांक 22.06.2022 को ओम प्रभा, आर.ए.एस. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि और इस वाद के मामले में लेखो प्रतिशत रूपये की राशि आज दिनांक से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत को दी जावे।**

**प्रतिवादी संख्या 02 प्रेमदेवी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का स्वीकार किया जाता है। तथा वादिया का यह द हेतुक प्रकट नही करता है, वादिया का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से नामंजूर किया ाता है।**

(ओम प्रभा)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा